क्रम संख्या—107

पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0एन0—30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई0
आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 272/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को दिनांक 08 जुलाई, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 15, वर्ष 2003)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन, और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हाईड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रायोजित "पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—